न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :— **01/2024**

GCMS NO. 2024/186

पुष्पा देवी पुत्री माधाराम पत्नी छोटुराम सैनी जाति माली उम्र 60 वर्ष निवासी ढाणी सुराडी तन प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद जिलो तहसील व जिला नीमकाथाना राजस्थान

......प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी

......अप्रार्थी

—: निर्णय :—

दिनांक :— 20.05.2025

उपस्थित अधिवक्ता —

प्रार्थी की ओर — श्री धर्मपाल खटाणा अधिवक्ता
अप्रार्थी की ओर — तहसीलदार खेतडी

प्रार्थीया की ओंर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट बाबत खाता दुरूस्ती पेश किया गया है कि वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2076—2079 के खाता संख्या 37 के हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 0.65 है., खसरा नबर 107 रकबा 0.42 है., खसरा नम्बर 111 रकबा 1.35 है., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 116 रकबा 0.62 है., खसरा नम्बर 1574/111 रकबा 0.24 है.,खसरा नम्बर 1575/114 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 1576/104 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 1577/115 रकबा 0.33 है., खसरा नम्बर 94 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 95 रकबा 0.24 है. किता 11 कुल रकबा 4.49 है. प्रार्थीया की संयुक्त खातेदार है। प्रार्थीया का नाम वर्णित भूमि में गुणडी पुत्री माधाराम नाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम पुष्पा देवी पुत्री माधाराम है। उसके समस्त लोक दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर आडी, राशन कार्ड, बैक पास बुक आदि में सही नाम पुष्पा देवी पुत्री माधाराम है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम नाम दर्ज होने से प्रार्थीया को भारी पेशानी का सामना करना पडता है। राजस्व रिकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम अलग —अलग दर्ज होने से प्रार्थीया को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में परेशानी होती है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2076—2079 के खाता संख्या 37 के हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 0.65 है., खसरा नबर 107 रकबा 0.42 है., खसरा नम्बर 111 रकबा 1.35 है., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 116 रकबा 0.62 है., खसरा नम्बर 1574/111 रकबा 0.24 है.,खसरा नम्बर 1575/114 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 1576/104 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 1577/115 रकबा 0.33 है., खसरा नम्बर 94 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 95 रकबा 0.24 है. किता 11 कुल रकबा 4.49 है. प्रार्थीया का नाम गुणडी पुत्री माधाराम के स्थान पुष्पा देवी पुत्री माधाराम दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] तहसीलदार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भू.अ./[illegible]/[illegible] दिनांक 11.03.2024 के द्वारा स्पष्ट अभिशांषा कर निवेदन किया है कि प्रार्थ[illegible] भूमि प्[illegible] का नाम गुणडी पुत्री माधाराम के स्थान पुष्पा देवी पुत्री माधाराम दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.06.06 17:50:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य में सहखातेदारान पी डल्ल्यू–1 अ**च्छी** पत्नी माधाराम, पी डल्ल्यू–2 बबरू पुत्र माधाराम का शपथ पत्र पेश किया, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैक पास बुक आदि प्रस्तुत किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र के अभिवचनों व तहसीलदार खेतडी की स्पष्ट अभिशांषा तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया। अतः न्यायालय प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबंदी सं. 2076–2079 के खाता संख्या 37 के हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 0.65 है., खसरा नबर 107 रकबा 0.42 है., खसरा नम्बर 111 रकबा 1.35 है., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.23 है., खसरा नम्बर 116 रकबा 0.62 है., खसरा नम्बर 1574/111 रकबा 0.24 है.,खसरा नम्बर 1575/114 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 1576/104 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 1577/115 रकबा 0.33 है., खसरा नम्बर 94 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 95 रकबा 0.24 है. किता 11 कुल रकबा 4.49 है.. में प्रार्थीया का नाम **गुणडी पुत्री माधाराम** के स्थान **पुष्पा देवी उर्फ गुणड़ी पुत्री माधाराम** दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार खेतडी को आदेर्शित किया जात है कि तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो। उक्तानुसार तहसीलदार खेतडी को तहरीर जारी हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

यह निर्णय आज तारीख **20.05.2025** को खुले न्यायालय सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.06.06 17:50:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner